

27⁰⁸
2019

वकील वर्क उपस्थित। वादिया की ओर से श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत एड. ने वकालतनामा फंश कर एक प्रार्थना पत्र वर्क को वापिस (withdraw) लेने की फंश किया, जो शामिल पत्रावली किया जावे। वादिया स्वयं उपस्थित। वादिया की पहचान श्री जितेन्द्र सिंह राजपूत एड. ने की। तथा वादिया के आधार कार्ड की फोटो प्रति फंश की।

श्री नसीमल शर्मा एड. ने एक प्रार्थना पत्र इन आशय का फंश किया कि लार्ज वापिस का वकील है तथा वादिया की ओर से कौनो अन्य वकील ने डट. प्रस्तुत कर वह शामिल करना चाहते हैं। वकालतनामा पर अधिवक्ता की स्वीकृति नही है तथा लार्जिया का-भापालय में मौजूद न होना कथन का तंडुफ आपका लार्जिया फंशिया जाये वाक्य प्रतिकर्षी प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जावे।

बिद्वान अधिवक्ता श्री नसीमल शर्मा जी का कथन कि लार्जिया का-भापालय में मौजूद नही है अचल नही है वादिया-भापालय में उपस्थित हैं। लार्जिया पहचान श्री जितेन्द्र राजपूत एड. द्वारा की गई है तथा अंशुष निशा की कलह गई है पहचान का दावा कर आधार कार्ड फंश किया है। वादिया वापिस लेना मजबूत का फंशनी जाती रजना वादिया का अधिका है।

जि. का. नम. 27/8/19
Jitendra
27/8/19
जितेन्द्र शर्मा
9.

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुये

जिस, जिस वादिया स्वतन्त्र है। वादिया अपना
वाद (दावा) वापिस (winding up) लेना चाहती है।
अतः अग्रिम पक्ष की आपत्ति के आधार पर
दावा वापिस (winding up) किए जाने से इंकार किया
जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः वादिया का सार्थना पत्र १९९९ दावा वापिस
लिये जाने वाला स्वीकार किया जाया वाद वापिस
(winding up) किए जाने के कारण खारिज किया जाता
है। पत्रावली में लल शुभा होकर प्रयोजन
से एक किया जाये। हल्व जाया दाखिल पत्र
है।

उपसहायक अधिकारी,
धौलपुर (राज.)